

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 11 अक्टूबर, 2017

विषय: पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जाने वाली धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं वित्तीय अनियमितता की जांच करने हेतु पंचायतीराज विभाग के लिए स्वतंत्र टी०ए०सी० के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायतीराज विभाग में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग, पंचायत भवन, अंत्येष्टि स्थल, सी.सी. रोड एवं के.सी.डेरन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय, स्कूल शौचालय, एस.एल.डब्लू. एम. के प्रोजेक्ट आदि विभिन्न प्रकार के लघु एवं वृहद श्रेणी के कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत द्वारा किए जाते हैं। पंचायतीराज विभाग द्वारा अनुदानित विभिन्न योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यों के मण्डल तथा राज्य स्तर से तकनीकी सहयोग तथा जांच आदि कार्यों हेतु तकनीकी लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ की आवश्यकता अनिवार्य पायी गयी है जिसके दृष्टिगत प्रत्येक मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए पंचायतीराज विभाग की एक स्वतंत्र टी.ए.सी. का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

- (1) उपनिदेशक(पं०) संबंधित मण्डल।
- (2) अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/सिंचाई विभाग।
- (3) संबंधित मण्डल मुख्यालय की जिला पंचायत का अभियन्ता।
- (4) 02 अवर अभियन्ता जिला पंचायत/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा।

2- इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि मुख्यालय जनपद के जिला पंचायत के कार्यों की तकनीकी जांच पंचायतीराज विभाग के उक्त टी.ए.सी. से कराया जाता है तो संबंधित मण्डल के मण्डल मुख्यालय जनपद के अभियन्ता, जिला पंचायत को उस टी.ए.सी. का सदस्य नहीं बनाया जायेगा। इस हेतु

मण्डल के किसी अन्य जनपद के जिला पंचायत के अभियन्ता को उक्त कार्य हेतु संबंधित टी.ए.सी. का सदस्य बनाया जायेगा।

3- इस प्रकार गठित उक्त टी.ए.सी. द्वारा अपने मण्डल के प्रत्येक जनपद के 10 बड़ी ग्राम पंचायतों द्वारा पिछले 03 वर्षों में कराए गए कार्यों की तकनीकी जांच की जायेगी। प्रत्येक जनपद के 10 बड़ी ग्राम पंचायतों का चयन निदेशक, पंचायतीराज द्वारा करते हुए इसकी सूचना संबंधित मण्डल के टी.ए.सी. को उपलब्ध करायी जायेगी। टी.ए.सी. द्वारा 15 दिन के अन्दर जांच करके जांच आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी एवं जिला पंचायतराज अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि उक्त जांच आख्या में ऐसे तथ्य प्रकाश में आते हैं कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही निदेशक, पंचायतीराज एवं पंचायतीराज विभाग, 30प्र0 शासन से अपेक्षित है तो उसकी सूचना/ आख्या निदेशक, पंचायतीराज 30प्र0 एवं पंचायतीराज अनुभाग-3, 30प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- इसी प्रकार प्रत्येक जनपद के प्रत्येक क्षेत्र पंचायत द्वारा पिछले 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष कराए गए कार्यों में से 02 बड़े कार्यों की जांच उक्त टी.ए.सी. द्वारा की जायेगी। टी.ए.सी. द्वारा 15 दिन के अन्दर जांच करके जांच आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी एवं जिला पंचायतराज अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि उक्त जांच आख्या में ऐसे तथ्य प्रकाश में आते हैं कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही निदेशक, पंचायतीराज एवं पंचायतीराज विभाग, 30प्र0 शासन से अपेक्षित है तो उसकी सूचना/आख्या निदेशक, पंचायतीराज 30प्र0 एवं पंचायतीराज अनुभाग-3, 30प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5- प्रत्येक जिला पंचायत द्वारा पिछले 03 वर्षों में कराए गए सभी कार्यों में से प्रत्येक वर्ष के 10 बड़े कार्यों की जांच उक्त टी.ए.सी. द्वारा की जायेगी। टी.ए.सी. द्वारा 15 दिन के अन्दर जांच करके जांच आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु पंचायतीराज अनुभाग-3, 30प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

कृपया उक्तानुसार अपने मण्डल में पंचायतीराज विभाग के लिए स्वतंत्र टी.ए.सी. का गठन करते हुए पंचायतीराज संस्थाओं के निर्माण कार्यों की जांच कराकर जांच आख्या प्रस्तर-3, 4 एवं 5 में उल्लिखित निर्देशानुसार संबंधित अधिकारियों/पंचायतीराज अनुभाग-3, 30प्र0 शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, 30प्र0।
- 2- समस्त प्रमुख क्षेत्र पंचायतें, 30प्र0।

- 3- निदेशक, पंचायतीराज उ०प्र०।
- 4- निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), उ०प्र०।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ०प्र०।
- 7- समस्त उपनिदेशक(पं०), उ०प्र०।
- 8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ०प्र०।
- 9- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ०प्र०।
- 10-समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 11-समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं०), उ०प्र०।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

<http://shashnadeshup.nic.in>